

म.प्र. राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ जिला शाखा दमोह

वृजेश पटेल

जिला अध्यक्ष
मोबा - 9827803474
B-26 अभिनव होम्स
दमोह



धर्मनंद राज

जिला सचिव
मोबा - 9109553111
AA1 टण्डन कॉलोनी
आमचीपरा, दमोह

Email- rajasyvkarmcharisanghmp@gmail.com

जिला कोषाध्यक्ष

आशीष साहू
9329330217

दिनांक 20/11/24

क्र. RKKK/JS/04/24
प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

द्वारा:- श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला दमोह (म.प्र.)

विषय:- राजस्व महाभियान 3.0 में प्रदेश के पटवारियों को आ रही विभिन्न समस्याओं का निराकरण किए जाने एवं श्रीमान द्वारा सार्वजनिक मंचों से पटवारियों को लेकर की जा रही प्रतिकूल टिप्पणियों से पटवारी संवर्ग आहत होने के संबंध में।

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश का पटवारी संवर्ग शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं समय-समय पर चलाए जा रहे अभियानों को शासन की मंशानुरूप निरंतर सफल बनाते आ रहे हैं। विगत राजस्व महाभियान 1.0 व 2.0 का कार्य प्रदेश के पटवारियों द्वारा संसाधनों के अभाव में रात-दिन जुटे रहकर सफल बनाते हुए प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लाखों राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त अभियानों के सफल होने का पूरा श्रेय वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया है किन्तु पटवारी का नाम तक नहीं लिया गया है। अत्यंत ही खेद का विषय है कि पटवारियों को शासन की विभिन्न योजनाओं व राजस्व महाभियानों में आ रही समस्याओं तथा पटवारियों की विभिन्न मांगों तो आज तक जस की तस है जिनका निराकरण करने की बजाए प्रदेश के मुखिया जी द्वारा सार्वजनिक मंचों से प्रदेश के पटवारियों पर लगातार की जा रही प्रतिकूल टिप्पणी से प्रदेश का पूरा पटवारी संवर्ग एवं उनके परिवारजन आहत महसूस कर रहे हैं।

प्रदेश के पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक संवर्ग की प्रमुख समस्याएँ निम्नानुसार हैं-

1. लंबित नक्शा तरमीम/बटांकन कार्य यह कि प्रदेश के एवं से शासन-प्रशासन के द्वारा डंडे के बल पर राजस्व महाभियान के रूप में नक्शा तरमीम / बटांकन कार्य करवाया जा रहा है, जबकि ये न्यायालयीन प्रकृति का कार्य होकर जिसमें हितवद्ध पक्षकारों / सहखातेदारों को संबंधित तहसील न्यायालय के द्वारा सुना जाना आवश्यक होता है। राजस्व महाभियान 1.0 व 2.0 में नक्शा तरमीम का कार्य वृहद स्तर पर पूर्ण किया जा चुका है शेष बचे बटांकन / नक्शा तरमीम विवादित प्रकृति की होने से उन्हें सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा सुना जाना आवश्यक है। नक्शा तरमीम के कार्य में पटवारी द्वारा प्रस्तावित नक्शा तरमीम को राजस्व निरीक्षक को मौके पर जाकर जांच की जाती है जो कि अभियान में कराया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के अधिकतर जिलों में मिसाल बंदोबस्त शीट एवं वर्तमान डिजिटल नक्शा शीट में भिन्नता आ रही है अधिकतर नक्शा पार्सल का रकबा खसरे में लिखित रकबे से मिलान नहीं करता है इसलिए बिना नवीन बंदोबस्त / भू-सर्वेक्षण के बिना नक्शा तरमीम का कार्य शुद्धतापूर्वक किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में वेव

प्रवक्ता

बसीर खान
अनुराग शुक्ला
दिनेश पटेल
वृजेश अहिस्वार
शिवम गोस्वामी

निर्देश

म.प्र. राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ जिला शाखा दमोह

बृजेश पटेल

जिला अध्यक्ष

मोबा - 9827803474

B-26 अभिनव होम्स

दमोह



धर्मनंद राज

जिला सचिव

मोबा - 9109553111

AA1 टण्डन कॉलोनी

आमचौपरा, दमोह

Email- rajasvkarmcharisanghmp@gmail.com

जिला कोषाध्यक्ष

आशीष साहू

9329330217

जिला उपाध्यक्ष

भागीरथ तंतुवाय

पुरूषोत्तम विश्वकर्मा

मुकेश चौरशिया

तखत सिंह

महिला प्रकोष्ठ

श्रीमति आरती भट्ट

श्रीमति शबाना परवीन

श्रीमति नेहा सेन

श्रीमति लाली लकुर

प्रवक्ता

बसीर खान

अनुराग शुक्ला

दिनेश पटेल

ब्रजेश अहिरवार

शिवम गोस्वामी

क्रं. 1/RKKS/JS/04/24

दिनांक 20/11/24.....

जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में उपलब्ध मॉड्यूल पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें किसी भी ज्यामिति का वास्तविक रकबा प्रदर्शित नहीं होता है अपितु खसरे में दर्ज रकबा ही उस ज्यामिति के अनुरूप प्रदर्शित होता है। वर्तमान मॉड्यूल में तीसरा विन्दु क्रियेक करने की सुविधा नहीं है इसलिए पटवारी चालू नक्शा शीट में काटे गए नक्शे, ऑन-लाईन नक्शा module में त्रुटिपूर्ण ढंग से इन्द्राज हो रहे हैं जिससे चालू नक्शा शीट पर काटा गया नक्शा एवं ऑन-लाईन काटे गए नक्शे में भिन्नता होती है। उपलब्ध मॉड्यूल पर मजबूरीवश पटवारी अन्दाज से किसी एक विन्दु से दूसरे विन्दु की ओर नक्शा काट रहा है। उपलब्ध मॉड्यूल पूर्णतः ratio and proportion के सिद्धांत पर नक्शे में आकृति बनाता है इस प्रकार बनी आकृति मौके पर बनी आकृति से भिन्न होती है। अतः शासन से निवेदन है कि नक्शा तरमीम के कार्य को राजस्व महाभियान के रूप में न करवाया जाए और इस कार्य को अभियान से पूर्णतः मुक्त रखा जाए।

2. अद्यतित डिजिटल नक्शा शीट प्रिंट - राजस्व महाभियान 1.0 एवं 2.0 में रिकॉर्ड नक्शा तरमीम हुई है किन्तु विभाग द्वारा अद्यतित डिजिटल नक्शा शीट के प्रिंट पटवारियों को उपलब्ध नहीं कराये गए हैं जबकि राजस्व महाभियान 3.0 में सीमांकन को भी शामिल किया गया है बिना अद्यतित डिजिटल नक्शा शीट के मोके पर सीमांकन संभव नहीं है प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक जिले में पटवारियों को डिजिटल नक्शा शीट के प्रिंट उपलब्ध कराने हेतु plotter/printer उपलब्ध कराए गए हैं।

3. शासन द्वारा सेवाओं के निराकरण हेतु निश्चित समय-सीमा यह कि शासन द्वारा विभिन्न राजस्व सेवाओं हेतु समय-सीमा निराकरण हेतु पूर्व से निर्धारित है। लोक सेवा केन्द्र/सी.एस.सी. सेन्टर / आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर आवेदन देकर शासन द्वारा तय नाम मात्र शुल्क पर शासन की विभिन्न सेवाओं का लाभ आवेदक प्राप्त कर सकता है। जिसके लिए शासन ने संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की हुई है इसके बावजूद भी शासन की इन अधिसूचित सेवाओं को राजस्व महाभियान के तहत शामिल किया जाकर आनन-फानन में कार्य करवाया जा रहा है, जिससे जल्दबाजी में अनेकों त्रुटियां उत्पन्न होने की आशंका है जिससे विवाद निराकृत होने की बजाए और अधिक अनावश्यक प्रकरण उत्पन्न होंगे जिससे प्रदेश का अन्नदाता किसान और अधिक परेशान होंगा।

4. ई.के.वाय.सी. एवं फॉर्मर रजिस्ट्री के संबंध में यह कि ई.के.वाय.सी./ फॉर्मर रजिस्ट्री में शासन द्वारा बनाए गए एप्प/पोर्टल को इतना अधिक जटिल बनाया गया है कि किसी भी किसान के नाम में space एवं बिंदी जैसी छोटी भिन्नता होने पर भी ईकेवायसी एवं फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाती है जिससे किसान अनावश्यक भटककर परेशान होता है। साथ ही वर्तमान में ekyc के लंबित लक्ष्य में ekyc पूर्ण कराये जा चुके किसानों की संख्या भी प्रदर्शित हो रही है जबकि वास्तविक शेष ekyc डाटा प्रदर्शित होना चाहिए जिससे ekyc कार्य हेतु शेष किसानों को पटवारी द्वारा आसानी से चिन्हित किया जा सके उक्त कार्य की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए एवं उक्त कार्य को सम्पन्न करवाने हेतु प्रदेश के पटवारियों पर अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। साथ ही अलग-अलग प्रकार के पोर्टल को समाप्त कर एक ही पोर्टल पर सभी योजनाओं की ई. के.वाय.सी. करवाई जाने की व्यवस्था हो ताकि किसानों को बार-बार ई. के.वाय.सी. नहीं करवाना पड़े और किसान तथा कर्मचारी का अनावश्यक समय बर्बाद न हो।

निवेदन

म.प्र. राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ जिला शाखा दमोह

बृजेश पटेल

जिला अध्यक्ष
मोबा - 9827803474
B-26 अभिनव होम्स
दमोह



धर्मनंद राज

जिला सचिव
मोबा - 9109553111
AA1 टण्डन कॉलोनी
आमचीपरा, दमोह

Email- rajasykarmcharisanghmp@gmail.com

जिला कोषाध्यक्ष

आशीष साहू
9329330217

जिला उपाध्यक्ष

भागीरथ तंतुवाय
पुरुषोत्तम विश्वकर्मा
मुकेश चौरसिया
तखत सिंह

महिला प्रकोष्ठ

श्रीमति आरती भट्ट
श्रीमति शबाना परवीन
श्रीमति नेहा सेन
श्रीमति लाली वक्र

प्रवक्ता

बसीर खान
अनुराग शुक्ला
दिनेश पटेल
ब्रजेश अहिस्वार
शिवम गोस्वामी

क्र/RRKS/JS/04/19

दिनांक 20/11/24

5. पटवारियों की समस्याओं एवं मांगों के निराकरण के संबंध में यह कि शासन द्वारा पटवारियों को मोबाईल एवं लैपटॉप क्रय करने हेतु बजट उपलब्ध करवाया जाए। तहसील कार्यालय में 5जी नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाए एवं शासन के विभिन्न सॉफ्टवेयरों एवं एप में आ रही तकनीकी त्रुटियों को दूर किया जाए ताकि पटवारी द्वारा सुविधापूर्वक अभियान का कार्य पूर्ण किया जा सके।

6. अवकाश के दिनों में कार्य न लिया जाए हम लोग राजस्व विभाग के सबसे छोटे कर्मचारी हैं और हमारे परिवार की ज़िम्मेदारी भी हम पर ही होती है इसलिए अवकाश के दिनों में हमें पारिवारिक कार्यों एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ता है इसलिए आपात स्थिति को छोड़कर अवकाश के दिनों में एवं कार्यालयीन समय के अतिरिक्त शासकीय कार्य से मुक्त रखा जाये।

शासन की समस्त लोक हितैशी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने के पश्चात् भी पटवारियों की वर्षों पुरानी वाजिव मांगों का निराकरण न करते हुए शासन द्वारा पटवारी संवर्ग को मानसिक रूप से प्रताडित करने के उद्देश्य से गृह तहसील एवं ई-डायरी जैसी अव्यवहारिक व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही "प्रदेश के मुखिया जी द्वारा सार्वजनिक मंचों से पटवारी को कलेक्टर का बाप एवं "राजस्व मंत्री पटवारियों के दुश्मन" जैसी प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है। पटवारी भी शासन प्रशासन एवं समाज का अभिन्न अंग है और इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियों के लिए प्रदेश के समस्त 25 हजार पटवारी एवं उनका परिवार आहत होकर, मध्यप्रदेश राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ इस प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी की घोर निंदा करता है एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता है कि पटवारीयों की वाजिव मांगों का निराकरण किया जाए एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये जाए।

अगर अभियान के दौरान किसी भी पटवारी पर कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही होती है तो मध्यप्रदेश राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ राजस्व महाभियान 3.0 का बहिष्कार करने हेतु बाध्य होगा, जिसकी समस्त जवाबदेही शासन-प्रशासन की रहेगी।

टीप -मध्यप्रदेश राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ, प्रांतीय पटवारी संघ द्वारा दिये गए ज्ञापन से सहमत है एवं समर्थन करता है

जिला अध्यक्ष
एवं समस्त पटवारी जिला दमोह
म.प्र. राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ